न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सुमेरपुर, जिला – पाली (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी :– श्री राजेन्द्रसिंह आर.ए.एस.

राजस्व विविध संख्या :– 79/2019
आर.सी.एम.एस. :– 2019/00129
दायर तिथि :– 22.10.2019
तारीख निर्णय :– 30.12.2019

प्रार्थीगण :–

1. शैतानसिंह पुत्र सोहनसिंह जाति राजपूत
2. मोहनकुंवर पत्नि स्व. करतारसिंह जाति राजपूत
3. जतना देवी पत्नि स्व. पुखराज जाति घांची
4. शान्तिलाल पुत्र पुनाराम जाति घांची
5. मंछाराम पुत्र पुनाराम जाति घांची
6. गजाराम पुत्र गुलाबजी जाति कुम्हार

निवासीगण – सुमेरपुर, तहसील – सुमेरपुर, जिला–पाली (राज.)

बनाम

अप्रार्थीगण :–

1. अशोक कुमार पुत्र गणेशमल
2. गोपाराम पुत्र गणेशमल
3. छोगाराम पुत्र लकमाराम
4. नरसाराम पुत्र दीपाराम
5. प्रभुराम पुत्र समाराम
6. प्रवीण कुमार पुत्र गणेशमल
7. मुकेश पुत्र गणेशमल
8. मगाराम पुत्र दीपाजी
9. मानी बाई पत्नि लकमाराम
10. रमेश कुमार पुत्र समाराम
11. लसाराम पुत्र समाराम
12. शान्तिलाल पुत्र गणेशमल
13. सुरेश पुत्र समाराम

जातिगण – घांची, निवासीगण – घांचियों का वास, सुमेरपुर
तहसील – सुमेरपुर, जिला–पाली (राज.)

14. तहसीलदार (भूमिधारी) सुमेरपुर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

–: निर्णय :–

दिनांक 30.12.2019

वकील प्रार्थी एवं सरकारी पैरोकार उपस्थित। बहस सुनी गयी।

प्रार्थना पत्र में वर्णित संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि :–

(1) प्रार्थीगण व अन्य के खातेदारी कब्जे काश्त की कृषि भूमि जिसके खसरा नं. 332 रकबा 0.60 हैक्टेयर किस्म नहरी अव्वल, खसरा नं. 333 रकबा 0.63 हैक्टेयर किस्म नहरी अव्वल, खसरा नं. 343/1 रकबा 0.51 हैक्टेयर किस्म नहरी अव्वल, खसरा नं. 343 रकबा 0.49 हैक्टेयर किस्म नहरी अव्वल, खसरा नं. 344/1 रकबा 0.020 हैक्टेयर किस्म नहरी दोयम, खसरा नं. 344 रकबा 0.52 हैक्टेयर किस्म नहरी अव्वल, खसरा नं. 345 रकबा 0.77 हैक्टेयर किस्म नहरी अव्वल, मौजा जाखोड़ा पटवार हल्का क्षेत्र कोलीवाडा तहसील सुमेरपुर में स्थित है।

(2) उक्त कृषि भूमि प्रार्थीगण व अन्य के नाम खातेदारी चली आ रही है। प्रार्थीगण कदीमी से अपने खेत पर फसल बोने, जोतने जाने हेतु ट्रेक्टर लाने–लेजाने हेतु जो रास्ता पुराने समय से चला आ रहा था। प्रार्थीगण भी उसी का उपयोग एवं उपभोग करता हुआ आ रहे थे।

(3) वर्तमान नक्शा ट्रेस के अनुसार जाखोड़ा रोड़ से खसरा नं. 359/1 की पश्चिमी माठ में से होकर आगे जाकर खसरा नं. 359/1 व 359 की उत्तरी माठ में से होकर खसरा सं. 332, 333, 343/1, 343, 344/1, 344, 345 में आना जाना होता था। जिस कदीमी रास्ता को संलग्न नजरी नक्शे में मार्क ए, बी, सी, डी, ई, एफ से दर्शाया गया है। उक्त रास्ता करीब 4

.....लगातार पेज 2

उपखण्ड अधिकारी सुमेरपुर, जिला-पाली

Scanned by CamScanner

मीटर चौडा है जो पिछले कई वर्षों से चला आ रहा है।
(4) उक्त कदीमी रास्ते को अप्रार्थीगण संख्या 1 लगाय 13 द्वारा रोक दिया गया है तथा मौके पर लकड़ियां व कांटे लगाकर रास्तें को अवरूद्ध कर दिया है। जिससे प्रार्थीगण को अपनी भूमि पर ट्रेक्टर लाने–लेजाने एवं आने–जाने हेतु भारी असुविधा हो रही है।

अप्रार्थीगण की ओर से जबाव में बताया कि प्रार्थीगण अपनी खातेदारी भूमि में खसरा नं. 358 की माठ के सहारे सहारे आते जाते रहे है। अप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि में से कोई कदिमी रास्ता नहीं रहा है। प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण के विरूद्ध गलत प्रार्थना पत्र पेश किया है। खसरा नं. 358 के खातेदार द्वारा इनका कदिमी रास्ता बन्द कर बाउण्ड्री वाल निकाली हुई है जिसे अब उनके द्वारा खसरा नं. 358 के खातेदारी के विरूद्ध रास्ता का प्रार्थना पत्र पेश नहीं कर हम प्रार्थीगण के विरूद्ध रास्ते हेतु गलत प्रार्थना पत्र पेश किया है। जो काबिल खारिज है।

अप्रार्थीगण के कब्जे स्वामित्व की खातेदारी भूमि सरहद मौजा जाखोडा में खसरा नं. 359 रकबा 2.69 हैक्टेयर किस्म नहरी अव्वल, खसरा नं. 359/1 रकबा 0.80 हैक्टेयर किस्म नहरी अव्वल कुल रकबा 3.43 हैक्टेयर भूमि आयी हुई स्थित है। जो भूमि राजस्व रेकर्ड में अप्रार्थीगण के नाम से गैर खातेदारी दर्ज है। उपरोक्त खातेदारी भूमि पर अप्रार्थीगण का संयुक्त रूप से कब्जा काश्त शान्तिपूर्वक चला आ रहा है। अप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि के उत्तर दिशा तरफ प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि खसरा नं. 332, 333, 343/1, 343, 344/1, 344, 345 आयी हुई स्थित है। उपरोक्त भूमि पर राजस्व रेकर्ड में दर्ज अनुसार प्रार्थीगण का कब्जा काश्त चला आ रहा है। प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि में आने–जाने हेतु प्रार्थना पत्र के साथ पेश किये गये नक्शे में दर्ज मार्क ए, बी, सी, डी, ई, एफ कोई रास्ता अप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि में से नहीं है। मौके पर किसी प्रकार का कोई रास्ता प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि में आने जाने हेतु अप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि में मौजूद नहीं है। मौके पर अप्रार्थीगण की सम्पूर्ण खातेदारी भूमि में रबी की फसल सरसों बोई हुई है। जिसके सबूत में अप्रार्थीगणों की ओर से फोटोग्राफ संलग्न है। लेकिन यदि प्रार्थीगण द्वारा अपनी खातेदारी भूमि में आने जाने हेतु अप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि में से कोई रास्ता प्राप्त करना चाहता है तो अप्रार्थीगण अपने खेती खातेदारी भूमि खसरा नं. 359/1 में से पश्चिमी माठ के सहारे सहारे उत्तर से दक्षिण 3 मीटर की चौडाई में प्रार्थीगणों की खातेदारी भूमि खसरा नं. 345 तक अपने खेत में पहुचने के लिए रास्ता देने हेतु नियमानुसार डी.एल.सी. दर की दुगुनी राशि अदा किये जाने पर पूर्णतया सहमत है। जो रास्ता प्रार्थीगणों के प्रार्थना पत्र में संलग्न नजरी नक्शा अनुसार मार्क ए, बी, सी, डी दर्ज है, प्रार्थीगणों ने संलग्न नजरी नक्शा अनुसार मार्क सी, डी, ई, एफ रास्ता अप्रार्थीगणों की भूमि में से लेने की मांग सरासर गलत रूप से की है तथा मार्क ए, बी, सी, डी रास्ते के पश्चात प्रार्थीगणों की स्वयं की भूमि स्थित है, जिसमें से आना–जाना कर रहे है तथा भविष्य में भी कर सकते है।

हमने प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत समस्त राजस्व रेकर्ड एवं अप्रार्थीगण व सरकारी पैरोकार द्वारा प्रस्तुत जवाब एवं मौका रिपोर्ट व संलग्न दस्तावेज इत्यादि का सावधानी पूर्वक अवलोकन व परीक्षण किया गया। जिससे स्पष्ट जाहिर होता है कि प्रार्थीगणों की खातेदारी भूमि खसरा सं. 332, 333, 343/1, 343, 344/1, 344, 345 में आने जाने हेतु अप्रार्थीगणों की खातेदारी भूमि खसरा नं. 359/1 के पश्चिमी माठ पर उत्तर से दक्षिण संलग्न नजरी नक्शे में मार्क ए, बी, सी, डी का रास्ता 4 मीटर चौडाई में लम्बाई अनुसार प्रार्थीगणों की खातेदारी भूमि खसरा नं. 345 में प्रवेश तक रास्ता दिया जाना उचित समझते है। प्रार्थीगणों की खातेदारी भूमि खसरा नं. 345 में पहुंचने के पश्चात प्रार्थीगण स्वयं के खेत में आवागमन कर सकते है। नजरी नक्शा में मार्क ए, बी, सी, डी रास्ता नियमानुसार डी.एल.सी. दर की दुगुनी राशि अदा किये जाने पर पटवारी हल्का कोलीवाडा व तहसीलदार सुमेरपुर माफिक निर्णय अनुसार राजस्व रेकर्ड में अमलदरामद करें। तथा संलग्न नजरी नक्शा निर्णय का अभिन्न अंग व भाग समझा जावें।

उपखण्ड मजिस्ट्रेट सुमेरपुर, जिला-पाली (राजस्थान)

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक **30.12.2019** को सरेइजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
सुमेरपुर, जिला-पाली

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajendra Singh
Date: 2020.01.08 12:05:14 IST
Reason: SelfAttested
Location: